

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

“अधिसूचना”

एस0 ओ0—

पटना, दिनांक— 12-1-16

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0-17631/08 दिनांक-20.12.2010 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में दि न्यूज पेपर एण्ड पब्लिकेशन लि0, फ्रेजर रोड, पटना द्वारा श्रम जीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा-17 (2) के अन्तर्गत श्री हितचन्द्र झा एवं अन्य के बकाये राशि भुगतान कराने संबंधी समर्पित वाद संख्या-14/12 को न्याय निर्णयार्थ, श्रम न्यायालय को निर्देशित किया जाना है।

अतः बिहार राज्यपाल उक्त विषय संबंधी श्री अनिल कुमार, निदेशक मेसर्स पाटलीपुत्रा, बिल्डर्स प्रा0लि0, महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, (दि न्यूज पेपर एण्ड पब्लिकेशन लि0), फ्रेजर रोड, पटना के विरुद्ध श्री हितचन्द्र झा, अध्यक्ष, एन0 एण्ड पी0 कर्मचारी यूनियन, दि न्यूज पेपर एण्ड पब्लिकेशन लि0 (इंडियन नेशन एवं आर्यावर्त) 3/36 विकर सेक्शन, लोहियानगर, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना से प्राप्त दावा वाद सं0-14/12 को उक्त अधिनियम की धारा-17 (2) के उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार न्याय निर्णयार्थ, श्रम न्यायालय, पटना को निदेशित करते हैं।

सं0-3/डी0-106/15 श्र0सं0- 112.

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

अधिसूचना

एस0 ओ0 दिनांक— का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

सं0-3/डी0-106/15 श्र0सं0- 113

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।